विधि (प्रक्रिया एवं साक्ष्य) : प्रश्न-पत्र-॥

LAW (Procedure and Evidence): Paper-II

निर्धारित समय : तीन घंटे]

अधिकतम अंक : 200

Time allowed: Three Hours

[Maximum Marks: 200

नोट : कुल पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिये । प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है । प्रत्येक खंड से कम से कम एक प्रश्न का उत्तर अवश्य दिया जाये । प्रत्येक प्रश्न के अंक प्रश्न के सम्मुख अंकित हैं ।

Note: Attempt five questions in all. Question No. 1 is compulsory. At least one question must be answered from each section. Marks carried by each question have been indicated against the question.

(अ) दिनांक 04.07.2000 को राधे श्याम ने राम कुमार के साथ ₹ 26,000 प्रति एकड़ की दर पर कुल ₹ 1,30,000 प्रतिफल पर 5 एकड़ का भूमि का टुकड़ा क्रय करने का करार किया । उसी दिन राधे श्याम ने राम कुमार को इस विशिष्ट शर्त पर ₹ 20,000 का भुगतान कर दिया कि वह विक्रय प्रतिफल के सम्पूर्ण अवशेष का भुगतान चार माह के भीतर करके भूमि का वैध पंजीकृत विक्रय विलेख अपने नाम में प्राप्त कर लेगा । राधे श्याम ने विक्रय प्रतिफल का अवशेष भुगतान दिनांक 28.08.2001 को कर दिया तथा भूमि का कब्ज़ा उसे परिदत्त कर दिया गया । तदोपरांत उक्त भूमि पर उसके कब्जे की पुष्टि करते हुए राम कुमार ने राधे श्याम के पक्ष में विक्रय का कब्ज़े सिहत करार दिनांकित 28.08.2001 निष्पादित कर दिया । दिनांक 04.01.2014 को मूर्ति बैंक ने राधे श्याम को इस कथन का विधिक नोटिस भिजवाया कि उक्त भूमि मूर्ति बैंक के पक्ष में साम्यिक बंधक के अधीन है । तब राधे श्याम ने उक्त भूमि पर अपना अधिकार, स्वत्व तथा हित एवं कब्ज़ा स्थापित करते हुए तथा यह आरोप लगाते हुए कि राम कुमार ने उक्त भूमि मूर्ति बैंक के पास बंधक होने का तथ्य छुपाकर उसके साथ छल किया है, नोटिस का उत्तर भिजवाया ।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रतिवादियों के बिरुद्ध मांगे जा सकने योग्य सभी प्रकार के मौलिक तथा वैकल्पिक अनुतोषों की माँग करते हुए राधे श्याम की ओर से एक वाद-पत्र तैयार कीजिए । लगाए गए आरोपों के सन्दर्भ में सभी सम्भव प्रतिवाद करते हुए उपरोक्त में रचित वादपत्र के उत्तर में

लगाए गए आरोपों के सन्दर्भ में सभी सम्भव प्रतिवाद करते हुए उपराक्त म राचत वादपत्र के उत्तर म राम कुमार की ओर से एक लिखित कथन का प्रारूप तैयार कीजिये ।

अधवा

20



दिनांक 10.06.2014 को राम किशन और उसका भतीजा राजीव, एक भूखंड क्रय हेतु ₹ 1,50,000 डिकी में रखकर, मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। जब वह प्रात: 10 बजे गजरौला, जिला ज्योतिबा फुले नगर, उत्तर प्रदेश में एक फार्म के समीप पहुँचे, तो दो अभियुक्त व्यक्ति – रणजीत और राजेंदर पीछे से मारुती कार में आये उन्होंने देसी तमंचा दिखाकर धमकाया और उन्हें रुकने के लिए कहा तथा जैसे ही वह रूके, रणजीत और राजेंदर ने उनसे रुपया उन्हें सौंप देने के लिए कहा। राम किशन और राजीव ने उन्हें मोटर साइकिल की चाबी सौंप दी। रणजीत और राजेंदर ने रुपये डिकी से निकाल लिए और तेज गित से भाग गए। राम किशन ने इस घटना की सूचना सहायक उप-निरीक्षक अखिलेश कुमार को दी जो उन्हें पुलिस थाना जाते समय रास्ते में मिला। इस सूचना के आधार पर गजरौला पुलिस थाना में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कर ली गयी।

घटना वाली तिथि और समय पर रणजीत और राजेंदर के मोबाइल फोन की लोकेशन अपराध के स्थान के समीप पायी गयी। बंद परिपथ कैमरा की रिकॉर्डिंग ने दर्शाया कि अपराध के लिए प्रयुक्त मारुती कार घटना से आधा घंटा पहले राज मार्ग 24 पर गजरौला के समीप टोल बूथ से गुजरी और टोल का भुगतान किया। यह कार अभियुक्त रणजीत के नाम में पंजीकृत थी। रणजीत और राजेंदर ने विवेचना अधिकारी के समक्ष संस्वीकृति बयान भी दिया तथा कहा कि उन्होंने लूटे गए धन में से ₹ 94,000 व्यय कर दिए हैं तथा ₹ 56,000 की धनराशि रणजीत के घर से बरामद हुई।

रणजीत और राजेंदर ने पुलिस के समक्ष प्रकटीकरण बयान भी दिया जिसमें राम किशन की फर्म के दो कर्मचारियों राजेश और रमन पर समूह का भेदिया होने की भूमिका का आरोप लगाया और कहा कि राजेश और रमन ने रणजीत और राजेंदर को इस तथ्य की सूचना दी थी कि राम किशन मोटर साइकिल में धन लेकर जा रहा है और वह उसे लूट सकते हैं । इसके अतिरिक्त यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने लूटेरों से ₹ 10,000 प्रत्येक का हिस्सा प्राप्त किया है । इसके अतिरिक्त राजेश और रमन के विरुद्ध पुलिस के समक्ष किया गया उनका अपना प्रकटीकरण कथन का साक्ष्य है जिसके कथित अनुसरण में पुलिस ने ₹ 5,000 (अव्ययित राजेश का हिस्सा) तथा ₹ 4,000 (अव्ययित रमन का हिस्सा) उनके पास से बरामद किये ।

रणजीत और राजेंदर ने पुलिस के समक्ष कोई प्रकटीकरण कथन करने से इंकार किया तथा आरोप से भी इंकार किया तथा कथन किया कि घटना के दिन वह गजरौला में नहीं थे एवं अभिवाक् किया कि उन्होंने लूट कारित नहीं की है। विचारण के दौरान राजेश और रमन ने भी प्रकटीकरण कथन करने से इंकार किया तथा मिथ्या फँसाव का अभिवचन किया।

अभियुक्तों को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120-बी, 392, 397 तथा आयुध अधिनियम की धारा 25 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए आरोपित किया गया ।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर मामले का निर्णय दोषसिद्धि करते हुए लिखिए ।

On 04.07.2000 Radhey Shyam entered into an agreement with Ram Kumar for purchase of a piece of land of 5 acres at ₹ 26,000 per acre i.e., for a total consideration of ₹ 1,30,000. On that day itself, Radhey Shyam had paid ₹ 20,000 to Ram Kumar towards advance with a specific understanding to pay the entire balance of sale consideration within four months and obtain a regular registered sale deed for the land in his name. Radhey Shyam paid the balance of sale consideration on 28.08.2001 and the possession of the land was delivered to him. Thereafter, Ram Kumar executed a possessory sale agreement dated 28.08.2001 in favour of Radhey Shyam confirming his possession over the said land. On 04.01.2014 the Murti Bank had got issued a legal notice to Radhey Shyam stating that the said land was under equitable mortgage with Murti bank. Then Radhey Shyam got issued a reply notice setting out his right, title and interest and also possession over the said land and also making an accusation that Ram Kumar had cheated him by suppressing the mortgage in respect of the said land with the Murti Bank.

Draft a plaint on behalf of Radhey Shyam on the basis of aforesaid facts claiming all types of reliefs whether primary or alternative, which could be claimed against the defendants, in this matter.

(b) Draft a written statement on behalf of Ram Kumar in reply to the aforesaid plaint, taking all possible defences in reference to aforesaid allegations.

OR

On 10.06.2014, Ram Kishan and his nephew Rajeev were going on a motorcycle carrying ₹ 1,50,000 with them in the dicky, for purchasing a piece of land. While they were near a Farm in Gajraula, Jyotiba Phule Nagar District of Uttar Pradesh at around 10 A.M., two accused persons – Ranjeet and Rajender came from behind in Maruti Car. They brandished country made pistol and asked them to stop and as they stopped, Ranjeet and Rajender asked them to hand over the money. Ram Kishan and Rajeev handed over the key of the motorcycle to them. Ranjeet and Rajender took out the

money from the dicky and sped away. Ram Kishan gave the information of this incident to ASI Akhilesh Kumar whom he met on the way to the Police Station. On the basis of this information an FIR was registered at Gajraula Police Station.

Location of the mobile phones of Ranjeet and Rajender was traced near the place of crime on the date and time of incident. Recording of Closed Circuit Camera showed that the Maruti Car used for crime passed and paid toll at N.H. 24 toll booth situated at Gajraula half an hour before the incident. This car was registered in the name of accused Ranjeet. Ranjeet and Rajender also made confessional statement before the Investigation Officer and said that they have spent ₹ 94,000 out of the looted money and the remaining amount of ₹ 56,000 is lying at the house of Ranjeet. The amount of ₹ 56,000 was recovered from the house of Ranjeet.

Ranjeet and Rajender also made disclosure statement before the police thereby alleging the role of two employees at the firm of Ram Kishan, Rajesh and Raman as the informers of the group and said that Rajesh and Raman had informed Ranjeet and Rajender of the fact that Ram Kishan is carrying the money in a motorcycle and that they could loot him. It is further alleged that they received a share of ₹ 10,000 each from the looters. Further, the evidence against Rajesh and Raman is their own disclosure statement to the police pursuant to which, allegedly, the police recovered ₹ 5,000 (Rajesh's share left unspent) and ₹ 4,000 (Raman's share left unspent) from them.

Ranjeet and Rajender denied having made any disclosure statement before the police and also denied the charge and stated that they were not present in Gajraula on the day of incident and pleaded that they did not commit the robbery. During the trial Rajesh and Raman also denied having made the disclosure statement and pleaded false implication.

The accused were charge-sheeted for the offence punishable under Sections 120-B, 392, 397 of the Indian Penal Code and Section 25 of the Arms Act.

On the basis of facts stated above write a judgment of conviction.

खण्ड-अ/Section-A

- 2. (अ) समन के आवश्यक संघटकों का वर्णन कीजिए । प्रतिवादी पर समन तामील करने की विभिन्न रीतियाँ क्या हैं ?
 - (ब) एकपक्षीय डिक्री का क्या अर्थ है ? उन परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जिनमें एकपक्षीय डिक्री अपास्त की जा सकती है ।
 - (स) अंतराभिवचनीय वाद से आप क्या समझते हैं ? अंतराभिवचनीय वाद से सम्बंधित शर्तों एवं प्रक्रिया का वर्णन कीजिए ।
 - (a) Explain the essential ingredients of Summon. What are the different modes of service of summons to the defendant?
 - (b) What is meant by ex-parte decree ? Examine the circumstances where an exparte decree may be set aside.
 - (c) What do you understand by inter-pleader suit? Explain the conditions and procedure relating to inter-pleader suit.
 - 3. निम्नलिखित समस्याओं के उत्तर कारण सहित संबंधित प्रावधानों के साथ दीजिए :
 - (अ) 'ब', 'अ' को चेन्नई क्षेत्र के लिए अपने उत्पादों के व्यवहारी नियुक्त करने हेतु अपनी फर्म का कारखाना प्रतिनिधि नियुक्त करता है । फर्म का मुख्यालय कोलकता में स्थित है । 'अ' की कारखाना प्रतिनिधि पद पर नियुक्ति समाप्त करते हुए 'ब' ने कोलकता में एक पत्र डाक में डाला, जो 'अ' ने चेन्नई में प्राप्त किया । 'अ', क्षितिपूर्ति एवं लेखा हेतु 'ब' के विरुद्ध एक वाद संस्थित करना चाहता है । इस मामले में वाद लाने का समृचित स्थान क्या है ?
 - (ब) लोक निर्माण विभाग के एक अवर अभियंता को अधीक्षण अभियंता द्वारा पदच्युत किया गया । उसने इस निर्णय को उच्च न्यायालय में रिट याचिका प्रस्तुत कर इस आधार पर चुनौती दी कि उसे सुनवाई का उचित अवसर प्रदान नहीं किया गया । यह रिट याचिका खारिज कर दी गयी । तब उसने एक दीवानी वाद संस्थित किया तथा एक अतिरिक्त कथन किया कि उसकी नियुक्ति मुख्य क्षेत्रीय अभियंता द्वारा की गयी थी इसलिए अधीक्षण अभियंता, पद में अवर होने के कारण, उसके विरुद्ध यह आदेश पारित करने में सक्षम नहीं है । इस दीवानी वाद में राज्य का प्रतिरोध यह है कि वाद पूर्व न्याय से वर्जित है । निर्णय कीजिए ।

- (स) 'अ' आदेश 32 के अधीन अपने अवयस्क प्रतिपाल्य 'ब' की ओर से 'स' के विरुद्ध एक वाद संस्थित करता है । वाद के लंबित रहने के दौरान 'ब' वयस्कता प्राप्त कर लेता है तथा आगे की कार्यवाही के लिए आपकी राय माँगता है । 'ब' को राय दीजिये । यदि 'ब' सह-वादी हो, तो क्या कोई अन्तर होगा ?
- (द) 'अ' ने एक नियतकालिक पत्रिका में मानहानिकारक लेख के कारण नुकसानी के लिए वाद प्रस्तुत किया । वाद के लंबित होने के दौरान 'अ' की मृत्यु हो गयी । क्या 'अ' के वैध उत्तराधिकारी वाद जारी रख सकते हैं ?

Answer the following problems with reasons and relevant provisions:

- (a) 'B' appoints 'A' as Factory Representative of his Firm for Chennai territory for appointing dealers of his products there. Firm's Head Office is situated at Kolkata. 'B' posted a letter at Kolkata terminating the appointment of 'A' as Factory Representative, which was received by 'A' at Chennai. 'A' wants to file a suit against 'B' for damages and accounts. What is the proper place of suing in this case?
- (b) A Junior Engineer of Public Works Department was dismissed from service by the Superintending Engineer. He challenged the said decisions by filing a writ petition in the High Court on the ground that he was not afforded a reasonable opportunity of being heard. The writ petition was dismissed. He then filed a civil suit and raised an additional plea that he was appointed by the Chief Zonal Engineer and, therefore, Superintending Engineer being lower in rank, was not competent to pass this order against him. In this civil suit, contention of State is that the suit was barred by res judicata. Decide.
- (c) 'A' files a suit in the name and on behalf of his minor ward 'B' against 'C' under order 32. During pendency of the suit 'B' attains majority and seeks your advice for further course of action. Advice 'B'. Will it make any difference if 'B' happens to be a Co-plantiff?
- (d) 'A' filed a suit for damages on account of defamatory article published in a periodical. 'A' dies during the pendency of suit. Can legal heirs of 'A' continue the suit?

		सिद्धांत क्या हैं ?	10
	(ब)	डिक्री के निष्पादन में सम्पत्ति की कुर्की से सम्बंधित प्रावधानों की विवेचना कीजिए ।	15
	(स)	निम्नलिखित के सन्दर्भ में प्रथम अपीलीय न्यायालय के कर्त्तव्यों एवं शक्तियों को बताइये :	
		(i) प्रतिप्रेषण	
		(ii) अतिरिक्त विवाद्यकों की रचना	
		(iii) अतिरिक्त साक्ष्य	
		(iv) डिक्री का उपान्तरण	15
	(a)	What are the main principles which guide the court, while dealing with an application for temporary injunction?	
	(b)	Discuss the provisions in respect of attachment of property in execution of decree.	
	(c)	State the duties and powers of first appellate court with reference to:	
		(i) Remand	
		(ii) Framing of additional issues	
		(iii) Additional evidence	
		(iv) Modification of decree	
		खण्ड-ब/Section-B	
5.	(अ)	तथ्यों की सुसंगतता का क्या अर्थ है ? तृतीय व्यक्तियों की राय कब सुसंगत होती हैं ? संक्षेप में विवेचना	*
		कीजिये ।	15
	(ब)	'अ' एक सात वर्ष की बालिका 'ब' के साथ बलात्कार का अभियुक्त है । 'अ' के विरुद्ध साक्ष्य 'ब'	
		का वह परिसाक्ष्य है, जिसे न्यायालय में शपथ ग्रहण कराये बिना रिकॉर्ड किया गया था । 'ब' की माता	
		ने अभिसाक्ष्य दिया है कि घटना के चार घंटे बाद उसे 'ब' ने सारी बात बतायी थी । क्या यह दोनों साक्ष्य	
		प्राह्य हैं ? क्या इस साक्ष्य के आधार पर 'अ' को दोषसिद्ध किया जा सकता है ? अपने उत्तर के समर्थन	
		में कारण दीजिए ।	15

(अ) अस्थायी व्यादेश के प्रार्थना पत्र पर विचारण करते समय न्यायालय का मार्गदर्शन करने वाले मुख्य

- 'अ', 'ब' की हत्या का अभियुक्त है । 'अ' ने अपने मित्र 'स' को सम्बोधित पत्र यह कथन करते हुए 🦱 लिखा कि उसने यह अपराध कारित किया है । यह पत्र एक पुलिस अधिकारी के हाथ लग गया । क्या इस पत्र की अंतर्वस्तुएँ 'अ' के विरुद्ध साक्ष्य के रूप में ससंगत है ?
- What is meant by 'relevancy of facts' ? When are opinions of third persons (a) relevant? Discuss in brief.
- 'A' is accused of raping a seven years old girl 'B'. The evidence against 'A' is the testimony of 'B', which was recorded in the court without administering oath. The mother of 'B' has deposed that 'B' narrated the whole thing to her after four hours of incident. Are these two evidences admissible? Can 'A' be convicted on the basis of this evidence? Give reasons in support of your answer.
- (c) 'A' is accused of the murder of 'B'. 'A' wrote a letter addressed to his friend 'C' stating that he had committed that crime. The letter fell into the hands of a police officer. Are the contents of this letter relevant as evidence against 'A'?
- (अ) विबंधन के सिद्धान्त का वर्णन कीजिये तथा विबंधन एवं स्वीकृति में अन्तर बताइये । 6.

10

'अ' ने 'ब' से एक घर पट्टे पर लिया और वहाँ किरायेदार की तरह रहता है । 'ब' ने 'अ' से तीन माह (**a**) के अवशेष किराये के भूगतान की माँग की । 'अ' प्रतिवाद करता है कि 'ब' घर का स्वामी नहीं है । क्या 'अ' को इस घर में 'ब' के स्वत्व से इंकार करने की अनुमति दी जा सकती है ? अपने उत्तर के लिए कारण दीजिये ।

10

'रेस जेस्टी' के सिद्धांत का वर्णन कीजिए । **(स)**

- Explain the doctrine of estoppel and distinguish between admission and estoppel. (a)
- (b) 'A' taken a house on lease from 'B' and lives there as tenant. 'B' made a demand to 'A' for payment of arrears of rent for three months. 'A' contends that 'B' is not the owner of the house. Can 'A' be permitted to deny the title of 'B' in the said house? Give reasons for your answer.
- Explain the doctrine of Res Gestae.

	मृत्युकालिक घोषणा के आवश्यक तत्त्वों की विवेचना कीजिए । मृत्युकालिक घोषणा कब सुसंगत होती		
	है ? क्या मृत्युकालिक घोषणा दोषसिद्धि का एकमात्र आधार हो सकती है ?	20	

- (ब) 'ब' के बारे में एक मानहानिकारक कथन एक पत्रिका में प्रकाशित करने से 'अ', 'ब' की मानहानि का अभियुक्त है । क्या उसी पत्रिका के एक पूर्व अंक में 'अ' के द्वारा 'स' के बारे में एक मानहानिकारक कथन के प्रकाशन का साक्ष्य ग्राह्य है ? अपने उत्तर के लिए कारण दीजिये ।
- (स) 'एक दस्तावेज की अन्तर्वस्तुओं के अतिरिक्त सभी तथ्यों को मौखिक साक्ष्य से सिद्ध किया जा सकता
 है, जो प्रत्येक दशा में प्रत्यक्ष होना चाहिए ।' संक्षिप्त विवेचना कीजिए ।
- (a) Discuss the essential elements of 'dying declaration'. When is dying declaration relevant? Can dying declaration form the sole basis of conviction?
- (b) 'A' is accused of defamation of 'B' by publishing a defamatory article about 'B' in a magazine. Is the evidence of publication of defamatory statement by 'A' about 'C' in the previous issue of same magazine admissible? Give reasons for your answer.
- (c) 'All facts except the contents of document may be proved by oral evidence, which in all cases be direct'. Discuss in brief.

खण्ड-स / Section-C

- 8. (अ) वारंट निर्गत करने वाले न्यायालय के क्षेत्राधिकार के परे उस वारंट के निष्पादन के लिए किस प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा ?
 - (ब) जब एक अभियुक्त के विरुद्ध वारंट निष्पादित न हो, तो न्यायालय के समक्ष उसकी उपस्थिति हेतु उसे
 बाध्य करने के लिए अगली कार्यवाही क्या है ?
 - (स) क्या एक मिजस्ट्रेट दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 (2) के अधीन पुलिस के द्वारा फाइल की गई अंतिम रिपोर्ट के आधार पर संज्ञान लेने हेतु बाध्य है ? क्या ऐसा संज्ञान लेने पर कोई निर्बन्धन है ? निर्णीत विधि सहित विवेचना कीजिए ।

- (a) What is the procedure to be followed in executing a warrant beyond the jurisdiction of court which issued it?
- (b) When the warrant against an accused is not executed, what is the next step for compelling his appearance before the court?
- (c) Is the Magistrate bound to take cognizance of an offence on the basis of the final report filed by the police under section 173(2) of Cr.P.C.? Is there any restriction for taking such cognizance? Discuss with case law.
- 9. (अ) एक पुलिस विवेचना अधिकारी संज्ञेय अपराध की विवेचना के दौरान इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि केवल एक असंज्ञेय अपराध कारित किया गया था तथा विवेचना पूर्ण करने के उपरान्त तद्नुसार मिलस्ट्रेट के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देता है । मिलस्ट्रेट क्या कार्यवाही अपनाएगा ?
 - (ब) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन पत्नी, बालकों तथा माता-पिता के भरण-पोषण से सम्बंधित प्रावधानों की
 विवेचना कीजिए ।

- (स) संक्षिप्त विचारण की प्रकृति एवं प्रक्रिया का वर्णन कीजिए । 'अ', 'ब' की ₹ 500 मूल्य की सम्पत्ति
 चुराकर, चोरी कारित करता है । क्या इस अपराध का संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है ?
- (a) A police investigation officer, while investigating cognizable offence concluded that only a non cognizable offence was committed and accordingly submits his report before the Magistrate after completion of investigation. What course shall the Magistrate adopt?
- (b) Discuss the provisions related to maintenance of wife, children and parents under the Code of Criminal Procedure.
- (c) Explain the nature and procedure of summary trial. 'A' commits theft by stealing property of 'B' worth ₹ 500. Can this offence be tried summarily?

- (अ) "प्रत्येक पृथक अपराध, जिसके लिए कोई व्यक्ति अभियुक्त है, उसका पृथक आरोप होगा तथा प्रत्येक ऐसे आरोप का पृथक विचारण किया जाएगा ।" विवेचना कीजिए । क्या इस नियम के कुछ अपवाद हैं ?
- (ब) 28 अगस्त 2015, को 'अ' ने 'ब' के घर में चोरी की तथा दूसरी चोरी उसी दिनांक को 'स' के घर में की और पुन: 30 अगस्त, 2015 को 'द' के घर में चोरी की । क्या तीनों अपराधों के लिए उसका अभियोजन एक ही विचारण में किया जा सकता है ? कारणों सहित विवेचना कीजिए ।

- (स) निम्नलिखित में विभेद कीजिए:
 - (i) संज्ञेय तथा असंज्ञेय अपराध
 - (ii) जमानतीय तथा गैरजमानती अपराध
- (a) "For every distinct offence, of which any person is accused, there shall be separate charge and every such charge shall be tried separately. Discuss. Are there any exceptions to this rule?
- (b) 'A' committed theft at the house of 'B' on 28 August, 2015 and committed second theft on the same date at the house of 'C' and again committed theft at the house of 'D' on 30 August, 2015. Can he be prosecuted for all three offences in one trial? Discuss with reasons.
- (c) Distinguish between:
 - (i) Cognizable and non-cognizable offence
 - (ii) Bailable and non-bailable offence

A Land Street